

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 अगस्त 2016—श्रावण 15, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्र. एफ-1-05-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

1. शीर्षक "बीस—स्कूल शिक्षा विभाग" के अधीन, भाग (अ), विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 1 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—
"प्राथमिक शिक्षा."
2. शीर्षक "पचास—महिला एवं बाल विकास विभाग" के अधीन, भाग (अ), विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक—1 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—
"1—क, पूर्व प्राथमिक शिक्षा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्र. एफ-1-05-2016-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-05-2016-एक-(1), दिनांक 6 अगस्त 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 6th August 2016

No. F-1-05-2016-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule,—

1. Under the heading “XX-School Education Department”, in part (A) “Matters of Policy dealt within the Department”, in serial number 1, for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely:—

“Primary Education.”.

2. Under the heading “L-Women And Child Development Department”, in part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after serial number 1, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

“1-A. Pre Primary Education.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.